UPAN010004212026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–718/2026

जयवर्धन त्रिपाठी उर्फ हेमन्त उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र स्व0 सुरेश कुमार त्रिपाठी, निवासी ग्राम मुसइतपुर, थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर ————आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ————————————————अभियोजन पक्ष

एवं

UPAN010045892026

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–693/2026

1. सदानन्द दूबे उर्फ डेविल उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र उमेश चन्द्र दूबे, निवासी गिरधारी दूबे का पुरवा, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर
2. ऋषभ तिवारी उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र बद्रीनाथ तिवारी, निवासी गोविन्द गनेशपुर अटिगा, थाना अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर
3. जयवर्धन त्रिपाठी उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र स्व0 सुरेश कुमार त्रिपाठी, निवासी ग्राम मुसइतपुर, थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर

————आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ————————————————अभियोजन पक्ष

एवं

UPAN010045882026

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–694/2026

विशाल तिवारी उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र जगदम्बा तिवारी, निवासी माधवपुर, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर————————————————आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार————————————————अभियोजन पक्ष

02.06.2026

आवेदक/अभियुक्त जयवर्धन त्रिपाठी उर्फ हेमन्त, सदानन्द दूबे उर्फ डेविल, ऋषभ तिवारी एवं जयबर्धन त्रिपाठी तथा विशाल तिवारी की ओर से अलग–अलग जमानत प्रार्थना–पत्र मु0अ0सं0 52/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3),190,324(6), 352 व 109(1)

बी0एन0एस0 थाना महरूआ, जनपद अम्बेडकर नगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

उपरोक्त तीनों जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही घटना तथा अपराध संख्या व धारा से संबंधित हैं,इसलिए सुविधा की दृष्टि से तीनों जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2026 को समय 15.45 बजे वादी मुकदमा पंकज पाण्डेय द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके साथी अधिवक्ता प्रभात मिश्रा आज दिनांक 21.03.2026 को खजुरी बाजार की तरफ से महरूआ की तरफ अपनी कार से जा रहे थे, समय लगभग 3.45 बजे दोपहर तरसावा प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचे थे कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण अभिषेक त्रिपाठी, शुभम त्रिपाठी, आदित्य त्रिपाठी, इंदजीत तिवारी, चंद्रजीत तिवारी, जिलाजीत तिवारी, अमरजीत तिवारी, प्रांजल तिवारी तथा 5–6 व्यक्ति अज्ञात एक राय होकर काली स्कार्पियो गाड़ी सामने खड़ी कर रुकवा लिए तथा भद्दी–भद्दी गाली देते हुए एक राय होकर लोहे की रॉड व हॉकी से कार को चारों तरफ से घेर कर तोड़– फोड़ डालें तथा प्रभात को कार से खींचकर मारकर गिरा दिए। इंद्रजीत तिवारी द्वारा प्रभात के सीने पर बैठकर जान से मार डालने की नीयत से कट्टा सिर पर सटाकर फायर किया गया, परंतु मिस होने के कारण गोली नहीं चली। तब कट्टे के बट से सिर पर मारा गया, जिससे उसका सिर फट गया और वह बेहोश हो गये तथा रुक–रुक कर खून की उल्टियां हो रही है। विपक्षीगण के मारने से शरीर में कई जगह फटे घाव की चोट है, जिनसे लगातार खून निकल रहा है। विपक्षीगण प्रभात को उठाकर स्कार्पियो गाड़ी में डाल रहे थे, परंतु आस–पास के लोगों द्वारा हल्ला गुहार करने पर छोड़ दिए। विपक्षीगण के साथ विशाल तिवारी, सर्वेश शुक्ला व प्रभात शुक्ला शामिल थे। अतः मुकदमा पंजीकृत आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाने पर दिए गए प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रार्थनापत्र में नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 52/2026 धारा–191(2), 191(3), 190,352, 324(4) व 109 बी0एन0एस0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। दौरान विवेचना धारा 324(4) व 109 बी0एन0एस0 को धारा 324(6), 109(1) बी0एन0एस0 में परिवर्तित किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण ने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के अनुसार न तो वादी मुकदमा ने प्रार्थीगण को नामजद किया है और न ही घटना स्थल पर प्रार्थीगण की उपस्थिति रही है। उन्हें झूठा व निराधार आलिप्त किया गया है। उनका कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। घटना का कोई चक्षुदर्शी व स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वादी मुकदमा विधि विशेषज्ञ है और जनपद न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य करता है, जिसके कारण घटना को बढ़ाचढ़ा कर थाने पर दबाव बनाकर प्रार्थीगण की गिरफ्तारी की गई है। आवेदक/अभियुक्त विशाल तिवारी दिनांक 22.03.2026 से, जयवर्धन त्रिपाठी दिनांक 23.03.2026 से व सदानन्द दूबे उर्फ डेविल व ऋषभ तिवारी दिनांक 03.04.2026 से कारागार, अम्बेडकर नगर में निरूद्ध है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उन्होंने स्वयं को जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता,फौजदारी तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

जमानत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन की ओर से केसडायरी के प्रासंगिक पर्चे एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना के दिनांक, समय व स्थान पर वादी मुकदमा प्रभात मिश्रा की कार को रोककर लोहे की रॉड व हॉकी से कार में तोड़–फोड़ किया और वादी मुकदमा को कार से बाहर खींचकर जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड व हॉकी से मारा पीटा और सिर पर कट्टे के बट से प्रहार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। पत्रावली पर उपलब्ध आहत प्रभात मिश्रा के आघात प्रतिवेदन व एक्स–रे रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आहत के शरीर पर कुल 11 चोटें आना दर्शित है, जिनमें चोट नं०–1. Contused lacerated wound of size 4 C-M- X 3 C.M. on the back of Lt- parietal region- चोट नं०–2 Contused swelling & lacerated wound of size 2 C.M. X 1 C.M. on Lt. foreleg 15 C.M. blow the Lt. knee joint. चोट नं0–3 Lacerated wound of size 1 C.M. X 1.5 C.M. on Rt. foreleg 10 C.M. below Rt. knee joint. चोट नं0–4 Lacerated wound of size 1 C.M. X 1 C.M. on Rt. Foreleg. 15 C.M. below Rt. knee joint. चोट नं0–5 Abrasion multiple of size 11 C.M. X 10 C.M. on Rt. Forearm. चोट नं०–6 Multiple abrasions No. of 7 approximately, each abrasion of size 3 C.M. X 2 C.M. on the back. चोट नं0–7 Contusion of size -20 C.M. X 10 C.M. on Lt. shoulder and arm, 4 C.M. above Lt. elbow joint. चोट नं0–8 Multiple abrasions on dorsal side of hand, size 2 C.M. X 3 C.M. No. of abrasions 3. चोट नं0–9 Lacerated wound of size 2 C.M. X 3 C.M. on the base of the mid knee joint. चोट नं0–10 Contusion and swelling back of the mid parietal region. व चोट नं०–11 Complaint of pain- आना दर्शित है तथा आहत के एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार Fracture (hairline) upper end of left febula bone of Lt. Leg and knee आना दर्शित है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकरण में नामजद नहीं है। उनका नाम सहअभियुक्त शुभम त्रिपाठी के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है तथा सी.डी.आर. के आधार पर उन्हें प्रकरण में संबद्ध किया गया है। संबंधित थाने की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की कोई शिनाख्त नहीं कराई गई है। अभियुक्तगण द्वारा स्कार्पियों में बैठकर

निकट के पेट्रोल पम्प पर जाकर तेल डलवाया जाना कहा गया है, किन्तु पेट्रोल पम्प पर किसी द्वारा पहचाना नहीं गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त विशाल तिवारी दिनांक 22.03.2026 से, जयवर्धन त्रिपाठी दिनांक 23.03.2026 से व सदानन्द दूबे उर्फ डेविल व ऋषभ तिवारी दिनांक 03.04.2026 से जिला कारागार, अम्बेडकर नगर में निरुद्ध हैं।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मैं पाता हूँ कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तीनों जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण जयवर्धन त्रिपाठी उर्फ हेमन्त, सदानन्द दूबे उर्फ डेबिल, ऋषभ तिवारी तथा विशाल तिवारी द्वारा मु0अ0सं0–52/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 324(6), 352 व 109(1) बी0एन0एस0 थाना महरूआ, जनपद अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाते है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा मु0 1,00,000–1,00,000 रूपये का व्यक्तिगत वन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकरण के विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं प्रस्तुत करेंगे।
2. अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेंगे।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेंगे न ही धमकायेगें और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे।
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा यदि दोबारा घटना कारित किए जाने एवं संलिप्तता पाए जाने पर उनकी जमानत निरस्त की जा सकती है।
5. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की दशा में विचारण न्यायालय अभियुक्तगण के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

इस जमानत आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थना–पत्र सं0– 693/2026 व 694/2026 में रखी जाए।

दिनांक–02.06.2026

(चंद्रोदय कुमार)
सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकर नगर
जे.ओ. कोड नं. यू.पी. 6553